अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45 – MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue :**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	307,21,00			
पूरक	Supplementary	1,00	307,22,00	301,28,83	-5,93,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,71,85
पूंजीगत :	**Capital :**				
स्वीकृत -	Voted –		102,51,00	102,50,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1378.00			
			1276.08	1277.12	+1.04
पु.	R.	-101.92			
मुख्य शीर्ष “2408”	Major Head “2408”				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	24884.00			
पू.	S.	1.00	28765.11	28759.07	-6.04
पु.	R.	3880.11			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	3999.00				
				16.32	..	-16.32
पु.	R.	-3982.68				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	455.00				
				92.64	92.64	..
पु.	R.	-362.36				

(I) ₹4547.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹4439.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹4547.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹4439.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -

(A) Major Head "2552"- "Food – Food Processing"-

(क) "बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम" - ₹105.00 लाख ;

(a) "Horticulture Based Industries - Scheme for Human Resources Development"- ₹105.00 lakhs;

(ख) "बागवानी आधारित उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम- ₹1175.00 लाख;

(b) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries"- ₹1175.00 lakhs;

(ग) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोत्साहक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम" - ₹610.00 लाख;

(c) "Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and other Promotional Activities" - ₹610.00 lakhs;

(घ) "अवसंरचना विकास संबंधी स्कीम" - ₹1900.00 लाख; और

(d) "Scheme for Infrastructure Development"- ₹1900.00 lakhs; and

(ङ) "संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम" - ₹199.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - अवसंरचना विकास के लिए सहायता" - ₹450.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹100.88 लाख की बचत (₹1378.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - दुग्ध आधारित उद्योग - गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोत्साहक क्रियाकलापों संबंधी स्कीम" के अंतर्गत ₹180.52 लाख की बचत (₹3187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्यमियों/संस्थाओं/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3631.21 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2011 में मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण- बागवानी आधारित उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण की स्कीम" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(e) "Scheme for Strengthening of Institutions"- ₹199.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Food – Food Processing – Assistance for Infrastructure Development" – ₹450.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(II) Under Major Head "3451"- "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries"- saving of ₹100.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1378.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2408" – "Food – Food Processing – Milk Based Industries – Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and Other Promotional Activities" – saving of ₹180.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3187.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from entrepreneurs/ institutions/ Organisation.

2.(I) The above savings were partly (₹3631.21 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2011 under Major Head "2408"- "Food –Food Processing - Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" – "Food – Food Processing"- under the following heads:-

(का) “बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम” - ₹167.91 लाख का अधिक व्यय (₹943.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) “Horticulture Based Industries – Scheme for Human Resources Development” – excess of ₹167.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹943.00 lakhs); and

(खा) “अवसंरचना विकास संबंधी स्कीम” - ₹409.99 लाख का अधिक व्यय (₹11399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) “Scheme for Infrastructure Development”– excess of ₹409.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11399.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds to clear committed liabilities.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹90.64 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 4532 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹90.64 lakhs occurred constituting 4532 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.